लापरवाही कार्यपालन यंत्री ने खुद माना, लंबे समय से नहीं हुआ था मरम्मत कार्य

बरगी बांध की नहर फूटने का प्रशासन कर रहा था इंतजार !

किसानों ने सुनाया दर्द, पिछले 2 साल से नहर से रिस रहा था पानी

29 किसानों की गेहूं की फसल हुई बर्बाद

नवभारत,जबलपुर। सगड़ा झपनी गांव के पास स्थित बरगी बांध परिक्षेत्र से रीवा तक जाने वाली दांई तट नहर फूटने के मामले में स्थानीय किसानों ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान जो बताया उसने जिम्मेदार विभाग के लापरवाह अधिकारियों की कलई खोल दी। किसानों ने दो टूक कहा कि सगड़ा झपनी गांव के पास स्थित बरगी बांध परिक्षेत्र से रीवा तक जाने वाली दांई तट नहर से धीरे धीरे करके पानी पिछले 2 सालों से रिस रहा था और इसकी सूचना पिछले 8 दिन से लगातार जिम्मेदारों को किसानों द्वारा दी जा रही थी। जबकि श्रृद्धा बंसोडकर कार्यपालन यंत्री, दांई तट नहर ने मीडियो में चर्चा के दौरान कहा और माना कि नहर में पानी का सीपेज कई सालों से था जिसका मरम्मत कार्य भी काफी समय से नहीं हुआ था।

ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब सब कुछ पहले से ही पता था तो सुधार कार्य क्यों नहीं कराया गया, क्या नहर फूटने का इंतजार प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। उधर स्थानीय किसान भीमाबाई, दुष्यंत सहित अन्य किसान ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि प्रशासन और जिम्मेदार विभाग खुद नहर फूटने का और किसानों की फसल की बर्बादी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि एसडीएम के अनुसार नहर फूटने से 30 किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है जिन्हें शासन स्तर पर जल्द मदद दी जाएगी। वहीं सगड़ा झपनी के पास बरगी बांध की दांई तट नहर का मरम्मत कार्य पूरा होने में जिम्मेदारों ने 7 से 8 दिन और लगने का समय बताया है।

6 गांवों की फसलें हुईं थीं खराब

विदित हो कि गत रविवार को सगड़ा-झपनी स्थित बरगी बांध की दांई तट नहर की दीवार टूट गई थी और नहर का पूरा पानी आसपास के गांवों के निचले इलाके में भर गया था। इस दौरान आसपास के 6 गांवों के करीब 30 किसानों की फसलें खराब हो गईं थीं।

इनका कहना है

बरगी बांध की दाईं तट नहर का मरम्मत कार्य भोपाल की टीम द्वारा किया जा रहा है। संभवतः 7 से 8 दिन में मरम्मत कार्य पूरा हो जाएगा। हमारे द्वारा किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे पूरा हो गया है। करीब 29 किसानों की गेंहूं की फसल खराब हुई है जिनके नुकसान का मुआवजा वैधनिक तरीके से स्वीकृत कराकर उन्हें दिया जाएगा।

अभिषेक सिंह
एसडीएम

क्या महाकौशल में बनेगा एम्स : सांसद तन्खा

फिलहाल कोई प्लान नहीं : सरकार

जबलपुर, नवभारत। महाकौशल जैसे बड़े क्षेत्र में विशेषकर जबलपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना नहीं की जाएगी। जिसको लेकर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

राज्यसभा में सांसद विवेक तन्खा द्वारा उठाए गए एक महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि फिलहाल महाकौशल क्षेत्र में किसी नए एम्स की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। श्री तन्खा द्वारा सरकार से जानना चाहा कि जबलपुर और आसपास के आदिवासी बहुल जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा संकाय के रिक्त पदों की क्या स्थिति है। तन्खा का तर्क था कि भोपाल में एम्स होने के बावजूद, महाकौशल की विशाल आबादी और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ एक स्वतंत्र एम्स स्तर के संस्थान की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि डॉक्टरों की कमी के कारण ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में गरीब मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है और उन्हें बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। सांसद तन्खा के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कुल 22 एम्स को मंजूरी दी गई है।

प्रमुखता से उठाया गया मुद्दा

विवेक तन्खा ने सदन में महाकौशल के आदिवासी और पिछड़े जिलों की स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए सरकार से पूछा था कि क्या इस क्षेत्र में एम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्था बनाने की कोई योजना है। सांसद विवेक तन्खा ने महाकौशल की उपेक्षा और वहां की स्वास्थ्य प्रणाली में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से रखा।

स्कूटी की टक्कर से चीतल की मौत

जीसीएफ रोड में हादसा क्षेत्र में और कई स्पीड ब्रेकर बनाने की वन विभाग ने की मांग

नवभारत,जबलपुर। केंद्रीय विद्यालय के आगे जीसीएफ मार्ग पर सड़क क्रॉस करते वक्त बुधवार दोपहर को एक चीतल दोपहिया वाहन से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दोपहिया वाहन में सवार पति-पत्नि को भी गंभीर चोटें आईं हैं जिन्हें स्थानीयजनों के द्वारा अस्पताल भिजवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने नवभारत को बताया कि जीसीएफ की मुख्य सड़क में ट्रैफिक अधिक था इसी बीच केवी के आगे अचानक सड़क पर चीतल आ गया। अचानक चीतल के आने से दोपहिया सवार चालक वाहन संभाल नहीं पाया जिस वजह से चीतल और वाहन की भिड़ंत हो गई। इसमें चीतल ने दम तोड़ दिया।

जाली से करना चाहिए इलाका कवर

वहीं जानकारों का कहना है कि वन विभाग को जीसीएफ, खमरिया सहित आसपास के क्षेत्र में जाली जलाकर जंगली इलाके को कवर करना चाहिए जिससे जंगली जानवर उस जाली के अंदर ही रहें और बाहर सड़क पर न आए। ऐसा करने से मूक पशुओं की मौतें होने से बचेंगीं और उन्हें जिंदगी भी जीने के लिए मिलेगी। इसको लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी अपूर्व शर्मा का तर्क है कि जीसीएफ वाला इलाका सेना का क्षेत्र है और वह जंगली इलाका नहीं है इसलिए उसमें जाली लगाने का अधिकार क्षेत्र वन विभाग का नहीं है।

इनका कहना है

स्कूटी सवार दंपति की टक्कर से केंद्रीय विद्यालय के आगे जीसीएफ रोड पर चीतल की मौत हुई है। इस मार्ग पर और अधिक स्पीड ब्रेकर बनाने का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग को भेजने की तैयारी चल रही है। क्योंकि अधिकांशतः देखा गया है कि वाहन चालक पाटबाबा, जीसीएफ वाली रोड पर बहुत तेज गति से वाहन चलाते हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं घटित होतीं हैं।

अपूर्व शर्मा
वन परिक्षेत्र अधिकारी

कलेक्टर का गनमैन बता हड़पे 8 .85 लाख

नामांतरण कराने के एवज में पटवारी-तहसीलदार, एसडीएम के नाम पर ली रकम

लार्डगंज पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

नवभारत,जबलपुर। हर्षित नगर साहेब परिसर यादव कॉलोनी स्थित एक संपत्ति का नामांतरण, सीमांकन और फैंसिंग कराने का आश्वासन देकर एक बुजुर्ग से 8,85,000 रूपए हड़प लिए गए। मुख्य आरोपी ने स्वयं को कलेक्टर का गनमैन बताते हुए अपने दो साथियों के साथ मिलकर पीड़ित का नाम राजस्व रिकॉर्ड मेंदर्ज कराने के एवज में पटवारी-तहसीलदार, एसडीएम के नाम पर रकम ली है। मामले में लार्डगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक तपन पाल पिता स्व.श्यामा चरण पाल 53 वर्ष निवासी गुलजार होटल के पीछे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता स्व. श्यामाचरण पाल ने एक प्रापर्टी सन् 2002 में मोहन सिंह बनाफर से क्रय किया था। संपत्ति हर्षित नगर साहेब परिसर यादव कॉलोनी स्थित कुल रकवा 0.419 हेक्टेयर है। पिता का निधन 28 दिसम्बर 2018 को हो गया था। मृत्यु पूर्व पिता द्वारा उसके नाम से वसीयतनामा बनाकर दिया गया था। पिता के द्वारा वसीयत उसके नाम से किये जाने के कारण उसके भाईयो ने आपत्ति ली थी तो उसने कहा कि पिता ने स्वयं उसके नाम किया है । पिता के द्वारा वसीयत में मिली संपत्ति पर नाम दर्ज कराने चाहता था इसीलिये कलेक्ट्रेट गया था लेकिन काम नहीं हो रहा था। इसी दौरान कलेक्टर कार्यालय परिसर के बाहर चाय की दुकान पर अतुल गुप्ता नाम का व्यक्ति मिला जिसने स्वयं को पुलिस कर्मी बताया। उससे सामान्य चर्चा हुई तो उसी दौरान अतुल गुप्ता ने उसकी परेशानी जान लिया और अतुल गुप्ता ने संपत्ति से संबंधित सारे कागज देखे फिर मोबाईल करके एक व्यक्ति को बुलाया इस व्यक्ति का परिचय अमित तिवारी नाम से दिया । अमित तिवारी के साथ एक अन्य व्यक्ति और आया उसका नाम संजय पटेल बताया गया था।

कलेक्टर साहब से बात हो गई है काम हो जायेगा

तपन ने पुलिस को बताया कि अमित तिवारी व संजय पटेल ने उससे कहा था कि लेक्टर साहब से बात हो गई है आपका काम हो जायेगा। हम लोगों को आप कुछ पैसा एडवांस दे दो, विश्वास करके गूगल पे के माध्यम से अमित तिवारी के खाते में 19,000 रूपए डाल दिए थे। इसके बाद तीनों के खाते में 8,66,000 रूपए डाले थे। तीनों ने काम कराने के एवज में पटवारी, तहसीलदार, और एस. डी.एम. के नाम से यह राशि ले लिया । इस प्रकार तीनों ने धोखाधड़ी कर आठ लाख पिच्चासी हजार रूपये की राशि प्राप्त कर लिये।

वर्दी में पहुंचता था, नामंकन आवेदन भी कराया टाईप

पीड़ित के मुताबिक दस्तावेज लेने के बाद अमित तिवारी ने उसे हाट बाजार में बुलाया जहां नामांकन आवेदन टाईप कराया बोला कि केस लगाना है। अतुल गुप्ता कई बार खाकी वर्दी पहनकर मिला था इसकी वर्दी देखकर विश्वास किया था। अतुल गुप्ता शुरू में कहता था कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ अपने खाते में बड़ी रकम नहीं ले सकता इसलिए यह राशि अपने दोस्त अमित तिवारी एवं संजय पटेल के खाता में डलवाया था अतुल गुप्ता यह भी बताता था कि यह अमित तिवारी कलेक्ट्रेट का सारा काम देखता है और संजय पटेल पटवारी एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय का काम देखते है। रकम लेने के बाद आश्वासन देते रहे लेकिन काम नहीं हुआ जब पैसे वापिस मांगे तो उसे धमकी दी।

कलेक्ट्रेट के बाहर सौदा, सिविक सेंटर में सौंपे दस्तावेज

कलेक्ट्रेट के बाहर तीनों ने तपन से कहा कि हम आपकी संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज करवा देंगें, संपत्ति के राजस्व रिकार्ड का नामांतरण, सीमांकन, फैसिंग यह सब काम कराने का आश्वासन दिये पूरी बात 9 लाख रूपये में तय हो गई थी। बातचीत दौरान अतुल गुप्ता ने खुद को कलेक्टर का गनमैन बताया था। इसके बाद अतुल गुप्ता और संजय पटेल सिविक सेंटर के पास अंजुमन इस्लामिया के सामने मिलने आये। अतुल गुप्ता के कहने पर दस्तावेज अमित तिवारी और संजय पटेल को दे दिया था।

लापरवाही के चलते ब्रिज से नीचे गिरा था हाइवा

मृत हाईवा चालक पर दर्ज हुई एफआईआर

नवभारत,जबलपुर। शहपुरा थाना अंतर्गत नटवारा पाटन ओवर ब्रिज के साईड रोड एनएच 45 हाईवे के ऊपर से मंगलवार को हाईवा नीचे कार, बाइक के ऊपर गिर गया था। जिसमें हाइवा चालक और बाइक चालक की मौत हो गई थी । इस मामले में पुलिस ने मृत हाइवा चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जांच में यह बात सामने आई कि हाईवा चालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ था।

पुलिस के मुताबिक हाईवा डम्फर क्रमांक एचआर 74बी 2280 मंगलवार को ब्रिज से नीचे गिर गया था। हाईवा की चपेट में कार क्रमांक एमपी 04 वाई के 9547 एवं मोटर सायकल क्रमांक एमपी 20 एन बी 2736 आई थी। सभी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया था। बाइक चालक बलराम अवस्थी 60 वर्ष निवासी ग्राम नटवारा, हाईवा डम्फर के केबिन के नीचे दबे चालक अंकित पिता मेहर सिंह निवासी खेराबर रोहतक जिला हरियाणा की मौत हो गई थी। जबकि कार में सवार धीरज शुक्ला, जितेन्द्र शुक्ला, अनीता शुक्ला, नीरज शुक्ला घायल हुए थे । जांच में यह बात सामने आई कि डम्फर क्रमांक एचआर 74 बी 2280 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलातकर हाईवे से ओवरब्रिज के नीचे गिराने से हादसा हुआ है। पुलिस ने हाईवा क्रमांक एचआर 74 बी 2280 के मृत चालक के खिलाफ धारा 281, 125(ए), 106 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है ।

हमलावरों को सात-सात साल की सजा

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने चाईना चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी जबलपुर निवासी अनिकेत कातिया उर्फ अन्नू और राजेश पटेल उर्फ गोला को सात-सात साल की सजा व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों ने चार मार्च 2025 को टीकाराम पटेल के साथ जमकर गाली-गलौज की थी। बरगद के पेड़ के नीचे इस घटनाक्रम के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से चाईना चाकू से ताबड़तोड़ वार किये थे। जिससे टीकाराम लहूलुहान बुरी तरह घायल हो गया था। उक्त मामले की शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

मैनेजरों ने 34 ग्राहकों की लोन किस्तों की रकम हड़पी

फाइनेंशियल कंपनी में गबन दो पर एफआईआर दर्ज

नवभारत,जबलपुर। सिहोरा थाना अंतर्गत बड़गैया स्थित फाइनेंशियल कंपनी में लाखों का गबन हुआ। मैनेजरों ने विश्वासघात करते हुए 34 महिलाओं से उनके लोन की किश्तों को लेकर कंपनी में जमा न करते हुए हड़प ली। लाखों रूपए का फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक गोविंद रजक, ब्रांच मैनेजर भारत फाईनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड सिहोरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के अनुमोदन के साथ भारत में बैंकिंग कारोबार कर रही है। भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन लिमिटेड शाखा सिहोरा में स्थापित है जिनके द्वारा महिलाओं को सामूहिक लोन शुरुआत 35,000 रुपये से लेकर 1,25000 रुपये का फायनेंस कम्पनी के द्वारा किया जाता है जो किस्त की वसूली भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन लिमिटेड में संगम मैनेजर गांव-गांव जाकर समूहों को दिये गये लोन की किस्त लेते हैं, और कम्पनी द्वारा दिये गये टैब के माध्यम आनलाईन एंट्री करते है और आनलाईन टैब में किस्त की रकम प्रदर्शित होने पर संगम मैनेजर के द्वारा ग्राहको से कलेक्ट की हुई कंपनी में जमा कराई जाती थी । सिहोरा ब्रांच के संगम मैनेजर आकाश रजक निवासी बड़खेरा सिहोरा ने कंपनी के 16 ग्राहकों से किस्त का पैसा लेकर कंपनी में जमा नही किया है इसी प्रकार संगम मैनेजर रत्नेश तिवारी निवासी खलौदा कटनी ने भी 18 ग्राहकों से किस्त का पैसा लेकर कंपनी में जमा नहीं किया है।

आकाश ने 3 .40 लाख वसूले, जमा किए 94 हजार

जांच में पाया गया कि कंपनी कर्मचारी अकाश रजक ने मनीषा कोरी, मानसी बर्मन, ऊषाबाई विश्वकर्मा, अर्चना कोल, फम्मीबाई यादव, प्रीति यादव, आसमीन बी, गंगोबाई वसोर, वंदनाबाई भूमिया, पूर्णिमा बैरागी, बबीता रैदास, द्रोपदी बाई कोल, अनीता बाई कोल, कमला बाई, सीमा दाहिया, दिव्या गोंटिया से लोन की राशि कुल 3,40,094 रुपये वसूले। जिसमें से 94,064 रुपये शाखा में जमा किया है शेष राशि 2,46,030 रूपए हड़प लिए।

रत्नेश ने 18 महिलाओं की किश्त राशि नहीं की जमा

इसी प्रकार रत्नेश तिवारी ने अनिता गोड़, गोमती काछी, कंचन चमार, खुशनुमा बी, ललिता बाई चौधरी, माया बाई विश्वकर्मा, मायाबाई चमार, मीना बर्मन, नेहा चौधरी, निर्मलाबाई लोधी, फूलबाई चौधरी, प्रीति श्रीवास, शहनाज बी, सकुनबाई कोल, सीताबाई कोल, सुम्मी कोल, सुनंदा कोल, याशमीन अहमद से कुल किस्त के 1,44,180 रूपए वसूले लेकिन कंपनी में जमा नहीं किए ।

गौवंश की हत्या, पैर घसीटकर लाये श्वान

भड़का आक्रोश, गढ़ा थाने में एफआईआर दर्ज

नवभारत,जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत बेदीनगर में उस वक्त आक्रोश भड़क गया जब श्वान एक गौवंश का पैर घसीटकर कहीं से लेकर आए। जब लोगों की नजर पड़ी तो आक्रोश बढ़ गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए जिन्होंने गौवंश की हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई और अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आयुष दुबे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे विश्वहिन्दू परिषद बजरंग दल मां नर्मदा जिला सह गौरक्षक प्रमुख जबलपुर में कार्य करता है। बेदीनगर में रोड पर एक गौवंश का पैर कटा पड़ा होने की सूचना पर पहुंचा तो देखा कि गौवंश का पैर कटा हुआ पडा था आसपास पूछताछ किया तो राहुल यादव, वंश विश्वकर्मा ने बताया कि दोपहर करीबन 3 बजे आवारा कुत्तों के व्दारा गौवंश का पैर का टुकड़ा घसीटकर लाकर छोड़ दिया हैं किसी अज्ञात व्यक्ति के व्दारा गौवंश का वध कर पैर काटा गया है जो आवारा कुत्तों के व्दारा पैर को नोंचकर घसीटकर बेदीनगर रोड पर छोड़ गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे है ।

रेवा बी.एड. कॉलेज

सरस्वती स्कूल के पास, अधारताल जबलपुर
फोन नं : 0761-4923246, 9425868370

आवश्यकता है

महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्राचार्य की आवश्यकता है। आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव सम्बंधी समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं दो फोटो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कॉलेज कोड-28 के तहत नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें।

आवेदन जमा करने की तिथि- 10/02/2026

क्र.	पद विवरण	संख्या	योग्यता एवं अनुभव
1.	प्राचार्य	01	स्नोतकोत्तर 55% एम.एड.55% अंकोसहित पीएच.डी.(शिक्षा में) एवं 10 वर्षो का प्राचार्य पद का अनुभव व कम से कम 2 वर्ष का शिक्षक अनुभव।

नोट- उपरोक्त पद के लिए चयन UGC/NCTE के नियमों के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में आरक्षण UGC/NCTE एवं म.प्र.शासन के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

प्रबंधक

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57